Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 39–2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 10, 2021 (PHALGUNA 19, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 मार्च, 2021

संख्या 07 /एस.टी.–1/ह0 अ0 6/2003/धा0 59/2021.— चूंकि, सरकार की राय है कि हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 174 की उप–धारा(2) द्वारा यथा व्यावृत्त हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) के अधीन लंम्बित कार्यवाईयों के संबंध मे समय सीमा में विस्तार करना अनिवार्य हो गया है।

अब इसलिए, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 174 की उप–धारा(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, व्यावृत्त उपबंधों, जिनमें किसी भी नाम से ज्ञात, ऐसी कार्यवाहियों के समापन या अनुपालन, किन्हीं कार्यवाहियों के समापन या किसी आदेश को पारित करने या कोई नोटिस, सूचना, स्वीकृति या अनुमोदन या ऐसी अन्य कार्यवाहियों को जारी करने के लिए जो अनिवार्य बाध्यता के कारण पूर्ण नहीं की गई थी या जिनकी अनुपालना नहीं की गई थी, किसी भी नाम से ज्ञात, किसी भी प्राधिकरण द्वारा, के लिए कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट, विहित, या अधिसूचित की गई है तथा जो मार्च, 2020 के चौबीसवें दिन से मई, 2020 के इक्कतिसवें दिन, दोनों तिथियां सम्मिलित, के बीच आती है के सम्बंध मे विभिन्न समय सीमाएं जो हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) के अधीन यथा उपंधित है का विस्तार करते है तथा ऐसी कार्यवाही, ऐसे समय के भीतर पूर्ण नहीं की गई, अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कार्यवाहियों के समापन या अनुपालन के लिए समय सीमा, मार्च, 2021 के इक्कतिसवें दिन तक विस्तारित हो जाएगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।